न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –26/2024

अनवान

1. गौरा बाई पुत्री रामा उर्फ देवीलाल भील, जाति भील, आयु बालिग, निवासी भील बस्ती चारभुजा, ग्राम पंचायत झालरबावड़ी, थाना व तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. भूरी बाई पत्नी रामा उर्फ देवीलाल भील, जाति भील, आयु बालिग, निवासी भील बस्ती चारभुजा, ग्राम पंचायत झालरबावड़ी, थाना व तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

– प्रार्थी

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री एच.एन. शर्मा, अनिल शर्मा प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 11.05.2026

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हम प्रार्थीगण के खाते व स्वामित्व की कृर्षि आराजियात ग्राम झालरबावड़ी, प.ह. बाड़ौलिया, भू.अ.नि.क्षेत्र रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की खाता संख्या 23, पुराना 25 की खसरा संख्या 181, 207 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8300 हेक्टर स्थित है, श्रीमान की जानकारी हेतु जमाबंदी सम्वत् 2076–79 व नक्शा ट्रेस की नकल साथ में संलग्न है। हम प्रार्थीगण का वास्तविक नाम गौरा बाई पुत्री रामा उर्फ देवीलाल भील व भूरी बाई पत्नी रामा उर्फ देवीलाल भील है, क्योंकि मुझ प्रार्थीया भूरी बाई के आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र में भूरी बाई पत्नी देवीलाल नाग दर्ज है, इस प्रकार हम प्रार्थीगण का वास्तविक नाम गौरा बाई पुत्री देवीलाल भील व भूरी बाई पत्नी देवीलाल भील है, किन्तु सहवन से उक्त आराजियात पर जमाबंदी के समय हम प्रार्थीगण का नाम गौरा बाई पुत्री रामा व भूरी बाई पत्नी रामा दर्ज हो गया है, उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवंश हुई है, इसलिए उक्त खाते में प्रार्थीगण का नाम गौरा बाई पुत्री रामा उर्फ देवीलाल व भूरी बाई पत्नी रामा उर्फ देवीलाल अंकित किये जाने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कालम संख्या 01 में वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण का नाम गौरा बाई पुत्री रामा उर्फ देवीलाल भील व भूरी बाई पत्नी रामा उर्फ देवीलाल भील किये जाने का आदेश प्रदान कर इतकाल दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 15.04.2026 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार झालरबावड़ी प0ह0 झालरबावड़ी के खाता संख्या 23 खसरा संख्या 181 रकबा 0.97है0 किस्म बारानी 1 खसरा संख्या 207 रकबा 0.86है0 किता 02 रकबा 1.83है0 गोराबाई पुत्री रामा हिस्सा 1/2 भूरी बाई पत्नि रामा हिस्सा 1/2 जाति भील सा. देह खा. दर्ज रिकार्ड है। आधार वर्ष (2064–2064) की जमाबंदी ग्राम झालरबावडी अनुसार खाता संख्या 108, खसरा संख्या 181 रकबा 0.97 है0 किस्म बारानी–1, खाता संख्या 109 खसरा संख्या 207 रकबा 0.86है0 किस्म बारानी 1 रामा पिता देवी भील सा. देह खा. दर्ज रिकार्ड है। ग्राम मौत बिरानों से पूछताछ अनुसार देवीलाल व रामचन्द्र दोनो भाई थे, इनके पिता का नाम देवाजी भील था, देवीलाल के वारिसान गौरा बाई व भूरी बाई है जबकि रामचंद्र के वारिसान नौसर बाई, काली बाई, संतोष बाई इत्यादि है। वाद पत्र के बिंदु संख्या 3 व 4 में मांगी गई इमदाद/राहत माननीय न्यायालय एवं अधिकार के क्षेत्र से संबंधित विषय है, जिन पर निर्णय किया जाना न्यायालयाधीन है। उपरोक्त जांच प्रतिवेदन एंव अभिलेखों के परीक्षण के यह स्पष्ट होता है कि देवीलाल एवं रामा उर्फ रामचन्द्र दो पृथक व्यक्ति है तथा उनके वारिसान भी अलग–अलग है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन कर निवेदन किया है कि देवीलाल एवं रामा उर्फ रामचन्द्र दो पृथक व्यक्ति है तथा उनके वारिसान भी अलग–अलग है। इस आधार पर प्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि नही होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर व दस्तावेजी सबूतों के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

–आदेश–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट का तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार प्रमाणित नहीं होने से व दस्तावेजी सबूतों के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को सुनाया गया

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with OKEN Scanner